शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 14 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 30 – 6 अप्रैल 2026 मूल्य पांच रूपये

क्या चेस्टर हिल प्रकरण में धारा 118 का उल्लंघन हुआ है?

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित चेस्टर हिल हाउसिंग प्रोजेक्ट इन दिनों राज्य के सबसे चर्चित और विवादित भूमि मामलों में शामिल है। यह प्रकरण केवल एक रियल एस्टेट परियोजना का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसने हिमाचल प्रदेश में लागू भूमि सुरक्षा कानूनों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 की प्रभावशीलता, प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह जांच रिपोर्ट सूचना का अधिकार (RTI) के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, RERA पंजीकरण विवरण, बैंकिंग संकेतों तथा प्रशासनिक फाइल मूवमेंट के विश्लेषण पर आधारित है, जिनके आधार पर इस पूरे मामले की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है।

RTI के माध्यम से प्राप्त राजस्व विभाग के दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि संबंधित भूमि का स्वामित्व कागजों में स्थानीय कृषकों के नाम दर्ज है और किसी भी गैर – हिमाचली या गैर – कृषक व्यक्ति के नाम सीधे तौर पर भूमि हस्तांतरण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रथम दृष्टया यह स्थिति धारा 118 के अनुरूप प्रतीत होती है, क्योंकि यह प्रावधान बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगाता है। हालांकि, यही वह बिंदु है जहां से इस मामले की जटिलता शुरू होती है। दस्तावेजों के सूक्ष्म अध्ययन और परियोजना के विकास पैटर्न से यह संकेत मिलता है कि कागजी स्वामित्व और वास्तविक नियंत्रण के बीच अंतर हो सकता है।

RTI के तहत प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भूमि की खरीद वर्ष 2017 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से स्थानीय कृषकों के नाम पर की गई थी। इन खरीदों के लिए बैंक ऋण लिए जाने का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि पूरी प्रक्रिया वैध वित्तीय माध्यमों से संपन्न हुई। लेकिन जब इन कृषकों की घोषित आय, उनकी वित्तीय क्षमता और परियोजना के कुल निवेश का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, तो कई विसंगतियां सामने आयी। विशेष रूप से ऋण की अपेक्षाकृत कम समय में अदायगी, निवेश के स्रोतों की अस्पष्टता और परियोजना में बाहरी डेवलपर्स की सक्रिय भागीदारी ने इस संदेह को जन्म दिया कि वास्तविक निवेशक और लाभार्थी कोई अन्य पक्ष हो सकता है।

वित्तीय लेन – देन और परियोजना संचालन से जुड़े सीमित लेकिन महत्वपूर्ण संकेत यह दर्शाते हैं कि निर्माण, मार्केटिंग, बुकिंग और विकास गतिविधियों में बाहरी कंपनियों की प्रमुख भूमिका रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी परियोजना में निवेश, नियंत्रण और लाभ सभी बाहरी पक्षों के पास हों, जबकि भूमि केवल स्थानीय व्यक्ति के नाम पर हो, तो इसे 'कलरबल डिवाइस' या 'बेनामी मॉडल' के रूप में देखा जा सकता है। इस स्थिति में भले ही कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन न दिखे, लेकिन उसकी मूल भावना का उल्लंघन माना जा सकता है।

RTI से प्राप्त Town and Country Planning विभाग के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि प्रोजेक्ट को नियम 35 के अंतर्गत छूट प्रदान करते हुए निर्माण और लेआउट की अनुमति दी गई थी। विभाग ने सड़क, घनत्व, भवन ऊंचाई और भूमि उपयोग जैसे तकनीकी पहलुओं के आधार पर स्वीकृति दी। हालांकि, यह भी स्पष्ट हुआ कि TCP ने भूमि स्वामित्व की वैधता की स्वतंत्र जांच नहीं की, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्वामित्व के आधार पर ही निर्णय लिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि TCP की भूमिका केवल तकनीकी स्वीकृति तक सीमित थी और वह धारा 118 के अनुपालन का प्रमाण नहीं मानी जा सकती।

नगर निगम सोलन से प्राप्त RTI दस्तावेजों में यह सामने आया कि निगम ने परियोजना के कुछ पहलुओं पर आपत्तियां दर्ज कीं और धारा 118 का हवाला देते हुए प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हालांकि कानूनी स्थिति के अनुसार धारा 118 के तहत कारवाई करने का अधिकार उपायुक्त (DC) और राज्य सरकार के पास होता है, जबकि नगर निगम का अधिकार क्षेत्र भवन निर्माण, कराधान और स्थानीय प्रशासन तक सीमित है। इस संदर्भ में नगर निगम द्वारा धारा 118 का हवाला देना अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के रूप में भी देखा जा सकता है, जिससे प्रशासनिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।

समयरेखा के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भूमि खरीद की प्रक्रिया 2017 – 2019 के बीच हुई, जबकि परियोजना का RERA पंजीकरण 2019 में हुआ। सोलन नगर निगम का गठन 2021 में हुआ, जो यह दर्शाता है कि परियोजना की प्रारंभिक प्रक्रियाएं नगर निगम के अस्तित्व में आने से पहले पूरी हो चुकी थीं। इसके बाद 2023 में TCP द्वारा विस्तार संबंधी स्वीकृतियां दी गई, 2025 में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई और 2026 में सरकार ने पूर्व में दी गई क्लीन चिट को वापस लेकर पुनः जांच के आदेश जारी किए। यह क्रम इस बात की ओर संकेत करता है कि समय के साथ मामले की गंभीरता और संदेह दोनों बढ़ते गए।

RTI के तहत प्राप्त फाइल नोटिंग्स और प्रशासनिक दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि परियोजना को विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन दिए गए और कुछ मामलों में नियमों के अंतर्गत छूट भी प्रदान की गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ये छूट पूरी तरह नियमानुसार थीं या किसी विशेष परियोजना को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दी गई। इसी कारण यह मामला प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी प्रश्न खड़े करता है।

हालांकि RTI दस्तावेजों में किसी एक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सीधे तौर पर चिन्हित नहीं किया गया है, लेकिन फाइल मूवमेंट और अनुमोदन प्रक्रिया से यह संकेत अवश्य मिलता है कि निर्णय उच्च स्तर तक लिए गए और इस प्रक्रिया में कई प्रशासनिक स्तर शामिल रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि मामला केवल निचले स्तर की त्रुटि नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है।

पूरे मामले के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यक्ष रूप से धारा 118 का उल्लंघन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, क्योंकि भूमि स्थानीय कृषकों के नाम पर खरीदी गई। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे संकेत मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि वास्तविक नियंत्रण, निवेश और लाभ बाहरी पक्षों के पास हो सकता है। इस स्थिति में यह मामला कानून के शाब्दिक उल्लंघन से अधिक उसकी भावना के संभावित उल्लंघन का प्रतीत होता है।

इस जांच के दौरान सामने आई प्रमुख विसंगतियों में कृषकों की आय और निवेश के बीच असंतुलन, ऋण अदायगी की गति, बाहरी डेवलपर्स की सक्रिय भूमिका, TCP द्वारा स्वामित्व सत्यापन का अभाव और विभिन्न विभागों के अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता शामिल हैं। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, जैसे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान, वित्तीय स्रोतों की पारदर्शिता, प्रशासनिक छूट की वैधता और यह कि क्या यह एक संगठित मॉडल है या एकल मामला।

समग्र रूप से देखा जाए तो चेस्टर हिल प्रकरण केवल एक परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में भूमि कानूनों के क्रियान्वयन और उनकी व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। RTI से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कागजों में प्रक्रिया वैध दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में कई स्तरों पर संदेह और अस्पष्टता मौजूद है। यही कारण है कि यह मामला व्यापक जांच और नीति स्तर पर पुनर्विचार की मांग करता है।

यह प्रकरण इस बात की भी याद दिलाता है कि कानून का पालन केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी मूल भावना और उद्देश्य की भी रक्षा आवश्यक है। आने वाले समय में इस मामले पर लिया गया निर्णय न केवल संबंधित परियोजना के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह भी निर्धारित करेगा कि हिमाचल प्रदेश में भूमि सुरक्षा कानून कितने प्रभावी और सख्ती से लागू किए जा सकते हैं।

लोक भवन में राजस्थान,ओडिशा एवं बिहार के राज्य स्थापना दिवस आयोजित

शिमला/शैल। लोक भवन, शिमला में राजस्थान, ओडिशा और बिहार

के राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने की। यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के बीच एकता और आपसी समझ को बढ़ाना है।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने अतिथियों को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान भाईचारे और एकता का प्रतीक है। इस दौरान राजस्थान, ओडिशा और बिहार की संस्कृति को दर्शाने वाली रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। लोक नृत्य और संगीत के माध्यम से इन राज्यों की परंपराओं को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया।

इन राज्यों से जुड़े कर्मचारियों ने हिमाचल में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि यहां उन्हें अपनापन और सहयोग मिला, जिससे उनका जीवन और काम आसान हुआ।

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि भारत की ताकत उसकी 'विविधता में एकता' है। अलग-अलग राज्यों की भाषा और संस्कृति को समझना देश को मजबूत बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार, राजस्थान और ओडिशा अपनी समृद्ध परंपराओं और इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं।

कार्यक्रम के दौरान एक अहम घोषणा भी की गई कि लोक भवन को अब सप्ताह में दो दिन आम जनता के लिए खोला जाएगा, ताकि लोग इस स्थान से जुड़ सकें।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने हिमाचल एम्पोरियम का दौरा किया

शिमला/शैल। कविन्द्र गुप्ता ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान हिमाचल एम्पोरियम का दौरा किया। इस दौरान

उन्होंने वहां प्रदर्शित हिमाचली उत्पादों की विविधता और पारंपरिक कारीगरी का अवलोकन किया।

राज्यपाल ने एम्पोरियम के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच हिमाचल प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर इन उत्पादों को आधुनिक सुविधाएं और सही विपणन मिलें, तो इससे कारीगरों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि हिमाचली उत्पाद अपनी गुणवत्ता और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं और इनके वैश्विक बाजार में भी अच्छे अवसर हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन उत्पादों के प्रचार-प्रसार, गुणवत्ता और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं।

इस मौके पर एम्पोरियम के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल से मिले शिक्षाविद, उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उद्योग से जुड़ाव पर जोर

शिमला/शैल। शिमला स्थित लोक भवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से प्रख्यात शिक्षाविदों के एक

प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उच्च शिक्षा, शैक्षणिक उत्कृष्टता और संस्थागत विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रतिनिधिमंडल में महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रदीप सिंह वालिया, राजकीय महाविद्यालय गुरदासपुर के प्राचार्य डॉ. अश्वनी कुमार भल्ला तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डॉ. राज कुमार सिंह शामिल थे।

शिक्षाविदों ने राज्यपाल को अपने-अपने संस्थानों में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों और नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने शोध कार्यो के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने, शैक्षिक पहुंच को विस्तारित करने और संस्थागत विकास को गति देने के लिए मार्गदर्शन का अनुरोध किया।

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ बनाने में गहरी रुचि व्यक्त करते हुए उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों में शोध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना और युवाओं के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से आगे बढ़ते हुए नवाचार, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए। छात्रों को उद्योग से जुड़े कौशल, उद्यमिता, व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना समय की मांग है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता और संस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रकार के संवाद से सहयोगात्मक शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित होगा।

आरट्रेक के जीओसी-इन-सी की राज्यपाल से मुलाकात

शिमला/शैल। जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी- इन -सी), आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रेक) लेफ्टिनेंट जनरल देवेन्द्र शर्मा ने लोक

भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने देश की संप्रभुता की रक्षा तथा दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने सशस्त्र बलों की पेशेवर दक्षता, समर्पण और अनुशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे हर परिस्थिति में राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहते हैं।

राज्यपाल ने शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा सेना की प्रशिक्षण क्षमता और ऑपरेशनल तैयारी को सुदृढ़ करने में दिए जा रहे योगदान की भी सराहना की। उन्होंने सशस्त्र बलों को और सशक्त बनाने के लिए आधुनिकीकरण, उन्नत प्रशिक्षण और तकनीकी अनुकूलन की आवश्यकता पर बल दिया।

लेफ्टिनेंट जनरल देवेन्द्र शर्मा ने राज्यपाल को आरट्रेक द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण पहलों और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन पहलों का उद्देश्य जवानों की तैयारी और दक्षता को और मजबूत करना है।

इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को एक कॉफी टेबल बुक भी भेंट की।

हिमाचल को 3,920 करोड़ की केंद्रीय सहायता, राज्यपाल ने जताया आभार

शिमला/शैल। कविन्द्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश को 'एसएएससीआई' के तहत 'प्राइड ऑफ हिल्स' योजना में 3,920 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिलने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी का आभार जताया।

राज्यपाल ने कहा कि यह फैसला पर्वतीय राज्यों के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि सोलहवें वित्त आयोग के तहत नौ पर्वतीय राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया गया है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे हिमाचल इस योजना के तहत दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बना है।

उन्होंने कहा कि इस सहायता राशि से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। खासकर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। यह पैकेज ऐसे समय में मिला है, जब राज्य सीमित संसाधनों और वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है।

राज्यपाल ने विश्वास जताया कि इस धनराशि का उपयोग पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया जाएगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों की जरूरतों को समझते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

नौणी विश्वविद्यालय को स्कोच अवार्ड में सिल्वर सम्मान

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को बागवानी श्रेणी में प्रतिष्ठित SKOCH Award (सिल्वर) से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान विश्वविद्यालय की परियोजना 'प्राकृतिक खेती आधारित एफपीसी के उद्यमिता सशक्तिकरण' के लिए प्रदान किया गया।

यह अवार्ड वर्ष 2003 से दिया जा रहा है और उन संस्थानों व परियोजनाओं को सम्मानित करता है जो सुशासन, समावेशी विकास और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन, सहकर्मी समीक्षा और फील्ड सत्यापन के बाद ही विजेताओं का चयन किया जाता है।

विश्वविद्यालय की यह परियोजना प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (PK3Y) पर आधारित है, जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों को संगठित कर उन्हें तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस पहल को मजबूत बनाने के लिए सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स प्लेटफॉर्म फॉर नेचुरल फार्मिंग (SuSPNF) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जो उत्पादन से लेकर बाजार तक पूरी प्रक्रिया को जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य, उत्पादों की ट्रेसबिलिटी और प्रमाणन की सुविधा मिलती है। साथ ही रसायनों पर निर्भरता कम कर पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सम्मान किसानों को सशक्त बनाने और टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मान्यता है

हिमाचल विधानसभा का 11वां सत्र संपन्न 90 घंटे चली कार्यवाही:कुलदीप सिहं पठानिया

शिमला/शैल। कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश

विधानसभा का 11वां सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसकी कार्यवाही करीब 90 घंटे चली और सत्र की उत्पादकता 103 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि चौदहवीं विधानसभा का यह सत्र दो चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण 16 से 18 फरवरी और दूसरा चरण 18 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चला। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई और कुल 16 बैठकें आयोजित की गई।

सत्र के दौरान 617 प्रश्नों (471 तारांकित और 146 अतारांकित) के उत्तर दिए गए। विभिन्न नियमों के तहत कई विषयों पर चर्चा हुई, जबकि शून्यकाल में 94 मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा, 9 सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर पारित किए गए और समितियों के 60 प्रतिवेदन सदन में रखे गए।

सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक भगत राम चौहान को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही, 649 विद्यार्थियों ने सदन की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जो लोकतंत्र के प्रति युवाओं की रुचि को दर्शाता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सुचारू संचालन के लिएसुखविंदर सिंह सुक्ख और जय राम ठाकुर सहित सभी सदस्यों, अधिकारियों और मीडिया का आभार व्यक्त किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

जनता बदलाव के लिए तैयार असम में बनेगी कांग्रेस की सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने असम में कांग्रेस के पक्ष में जोरदार चुनाव प्रचार करते

हुए दावा किया कि राज्य की जनता बदलाव के लिए तैयार है और इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनेगी।

मुख्यमंत्री ने जलेश्वर और सेंगा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोग परेशान हो चुके हैं और अब परिवर्तन चाहते हैं।

उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा और असम की संपदा का दुरुपयोग हुआ। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार बनने पर सभी भ्रष्टाचार मामलों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन में असम विकास की दौड़ में पिछड़ गया है और राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग की संदिग्ध मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले में अब तक की कारवाई से जनता संतुष्ट नहीं है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कांग्रेस को देशहित में काम करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती है। मुख्यमंत्री ने पार्टी के घोषणा-पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर असम में अपना व्यवसाय शुरू करने वाली प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बुजुर्गों को हर महीने 1,250 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए अलग विभाग बनाया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए 25 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि कांग्रेस पार्टी जनता से किए हर वादे को पूरा करेगी।

आईजीएमसी में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन

किया। इसके साथ ही राज्य में पहली बार सरकारी क्षेत्र में पैट (PET) स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है।

यह आधुनिक सुविधा गंभीर बीमारियों, खासकर कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान करने में बेहद उपयोगी है। पैट स्कैन शरीर के मेटाबॉलिक और मॉलिक्यूलर स्तर पर होने वाले बदलावों को जल्दी पकड़ लेता है, जबकि सामान्य सीटी और एमआरआई बाद में बदलाव दिखाते हैं। इससे इलाज जल्दी शुरू करने में मदद मिलती है और रोग की स्थिति का सही आकलन किया जा सकता है।

यह तकनीक मस्तिष्क टयूमर, लंग्स, ब्रेस्ट, थायरॉयड और अन्य कई प्रकार के कैंसर की पहचान और इलाज में सहायक है। इसके अलावा अब इसका उपयोग हृदय, न्यूरोलॉजी और संक्रमण से जुड़ी बीमारियों के परीक्षण में भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को लगातार शामिल कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में यहां 3 टेस्ला एमआरआई मशीन भी शुरू की गई है और आने वाले समय में राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया जाएगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में स्पैक्ट-सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए 8 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की। इससे मरीजों को और बेहतर जांच सुविधाएं मिल सकेंगी।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

कामगार कल्याण बोर्ड का 211.47 करोड़ का बजट स्वीकृत

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 54वीं निदेशक मंडल बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 211.47 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव

सिंह कंवर ने की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कुल बजट में से 105 करोड़ रुपये विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, जिससे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सीधे लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष ने बताया कि श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं और उनके अधिकारों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंच सके।

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बोर्ड का मुख्यालय पुराने एसडीएम कार्यालय से स्थानांतरित कर हमीरपुर के नए बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन भवन में स्थापित करने को मंजूरी दी गई।

श्रमिकों तक सेवाओं की पहुंच को और सुदृढ़ करने के लिए 100 'श्रमिक मित्र' को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी पात्र लाभार्थियों को हिमकेयर योजना से जोड़ने पर भी सहमति बनी।

बैठक में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन और बेटी जन्म योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं को ईसोमसा प्रणाली के साथ एकीकृत करने की स्वीकृति दी गई, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।

अध्यक्ष ने पंजीकृत श्रमिकों के ई-केवाईसी, भौतिक सत्यापन और दावों के समयबद्ध निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए।

इस बैठक में बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार सहित अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।

दूध उत्पादकों को हर महीने 34.18 करोड़ रुपये का लाभ

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में किसानों और दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को हर महीने औसतन 34.18 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दिया जा रहा है, जो अब तक का सबसे अधिक है। दूध खरीद में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां लगभग 1.57 लाख लीटर दूध प्रतिदिन खरीदा जाता था, अब यह बढ़कर करीब 2.70 लाख लीटर हो गया है।

दूरदराज क्षेत्रों के किसानों की सुविधा के लिए घर-घर जाकर दूध संग्रह किया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और उनकी आय में सुधार हो रहा है।

सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में भी वृद्धि की है। वर्ष 2026-27 के बजट में गाय के दूध का मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। इसके चलते दुग्ध समितियों की संख्या और सदस्यों में भी बढ़ोतरी हुई है।

डेयरी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले के ढगवार में आधुनिक दूध प्लांट बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में क्षमता और बढ़ेगी।

सरकार किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण भी दे रही है। महिला समूहों और दुग्ध उत्पादक समूहों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

हिमाचल का एलायंस एयर के साथ समझौता

अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी हवाई सेवाए

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एलायंस एयर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जानकारी पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन निदेशक विवेक भाटिया ने दी।

उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला मार्गों पर दैनिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। दोनों रूट पर सप्ताह के सातों दिन हवाई सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे यात्रियों को नियमित और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी।

निदेशक के अनुसार प्रस्तावित उड़ानें एटीआर 42-600 विमान से संचालित होंगी, जिसमें 48 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इन उड़ानों का वाणिज्यिक संचालन अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। यह एमओयू संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 12 माह तक प्रभावी रहेगा।

वित्तीय व्यवस्था के तहत राज्य सरकार इन उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर भुगतान (वीजीएफ) वहन करेगी। यह राशि पूर्णतः अनुदान के रूप में एयरलाइन को प्रदान की जाएगी। इस मद में अनुमानित वार्षिक व्यय 32.64 करोड़ रुपये आंका गया है।

विवेक भाटिया ने कहा कि यह पहल न केवल राष्ट्रीय राजधानी और शिमला के बीच सीधा हवाई संपर्क स्थापित करेगी, बल्कि राज्य के भीतर शिमला और धर्मशाला के बीच कनेक्टिविटी को भी सुदृढ़ बनाएगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही भी अधिक सुगम होगी।

'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' से मुख्यमंत्री का संवाद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम के जरिए जिला चंबा के 35 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' से संवाद किया। ये बच्चे इन दिनों दमन और दीव के शैक्षणिक भ्रमण पर हैं।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से यात्रा के दौरान मिले अनुभवों के बारे में पूछा और यह भी जाना कि उन्हें वहां किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। बच्चों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि यह उनके लिए एक नया और यादगार अनुभव है। उन्होंने कहा कि पहली बार हवाई जहाज में यात्रा करना उनके लिए बहुत खास रहा और दमन में घूमने का उन्हें काफी आनंद मिल रहा है।

बच्चों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी पहल के कारण ही उन्हें इस यात्रा का मौका मिला। उन्होंने कहा कि सरकार उनके विकास के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें हर जरूरी सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना' निराश्रित बच्चों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें भी समाज में समान अवसर मिल सकें। इस योजना के तहत सरकार उनकी पढ़ाई, कोचिंग और अन्य जरूरतों का खर्च उठा रही है। इसके अलावा, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है।

यह सभी बच्चे चंबा जिले के विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों से हैं, जिनमें 24 लड़कियां और 11 लड़के शामिल हैं। यह शैक्षणिक भ्रमण 31 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल 2026 तक चलेगा। यात्रा के दौरान बच्चे पहले दिल्ली गए, जहां वे हिमाचल भवन में ठहरे, और उसके बाद हवाई जहाज से सूरत होते हुए दमन पहुंचे।

शिमला के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद करते हुए शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अपने छात्र जीवन और राजनीतिक सफर के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उनका सार्वजनिक जीवन 17 वर्ष की आयु में कक्षा प्रतिनिधि के रूप में शुरू हुआ और बाद में उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर विभिन्न राजनीतिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने कहा कि मेहनत और निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति उच्च पद तक पहुंच सकता है।

उन्होंने छात्रों को जनसेवा और राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित किया, साथ ही युवाओं की भूमिका को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया।

वहीं, इस मुलाकात को छात्रों के लिए सीखने और संवाद का अवसर माना जा रहा है। हालांकि, शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के प्रभाव और उनके जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की आवश्यकता भी बनी हुई है।

इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी, सुरेश कुमार, हरीश जनारथा, विवेक शर्मा तथा प्रो. शशिकांत शर्मा भी उपस्थित रहे।

अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक आश्वस्त होना मूर्खता है। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

जागरूकता ही है नशे से बचाव का सबसे बड़ा हथियार

मादक पदार्थों का दुरुपयोग आज देश और समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। केवल व्यक्तिगत प्रयास या परिवार की चिंता ही इसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी गंभीरता को समझते हुए सरकार ने 15 अगस्त 2020 को 272 संवेदनशील जिलों में नशामुक्त भारत अभियान(एनएमबीए) शुरू किया। तीन साल की सफलता और अनुभव के बाद इसे 15 अगस्त 2023 से देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। यह अभियान न केवल जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम है, बल्कि समाज में सक्रिय सहभागिता और उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जनता को शिक्षित करना और उन्हें सही समय पर सहायता प्रदान करना है। एनएमबीए की गतिविधियों की पहुंच 2021 में केवल 1.4 करोड़ लोगों तक सीमित थी, जो अब बढ़कर 25.99 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। इस दौरान 9.39 करोड़ युवाओं और 6.40 करोड़ महिलाओं तक जागरूकता फैलायी गई। इस प्रयास के परिणामस्वरूप उपचार और परामर्श चाहने वालों की संख्या 2.08 लाख से बढ़कर 8.20 लाख से अधिक हो गई।

अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं है। यह सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति उपचार केंद्र (एटीएफ) स्थापित करने का काम भी करता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) नई दिल्ली और असम के तेजपुर स्थित लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान(एलजीबीआरआईएमएच) इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में 154 नशामुक्ति उपचार केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह केंद्र मादक पदार्थों से पीड़ित लोगों को परामर्श, उपचार और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करते हैं।

साथ ही, टोल-फ्री हेल्पलाइन (14446) के माध्यम से लोग 24 घंटे किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन के जरिये मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने और उपचार केंद्रों तक मार्गदर्शन देने की सुविधा प्रदान की जाती है। हेल्पलाइन को अब राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन(एमएएनएएस-1933) और स्वास्थ्य मंत्रालय की टेली-एमएएनएएस से एकीकृत कर दिया गया है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और मादक पदार्थों के उपयोग दोनों के लिए सहायता उपलब्ध है।

एनएमबीए के तहत स्वयंसेवकों और पेशेवरों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 28,000 से अधिक स्वयंसेवकों को मादक पदार्थों के प्रभाव, उपचार और पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य पेशेवर, गैर सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसका उद्देश्य समाज में एक ऐसा कार्यबल तैयार करना है, जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग का शीघ्र पता लगा सके, समय पर परामर्श दे सके और प्रभावी उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित कर सके।

आंकड़े और सर्वेक्षण बताते हैं कि अभियान ने जागरूकता, समर्थन और सहभागिता में उल्लेखनीय सुधार किया है। यूएनडीपी की 2021 की प्रभाव आकलन रिपोर्ट में पाया गया कि एनएमबीए के माध्यम से 64% जागरूकता, 76% समर्थन, 23% सहभागिता और उपचार एवं पुनर्वास केंद्रों के बारे में 50% जागरूकता बढ़ी है।

एनएमबीए केवल एक सरकारी योजना नहीं है। यह राष्ट्रीय आंदोलन और समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह पहल हमें याद दिलाती है कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय चुनौती है। जागरूकता, शिक्षा, सहभागिता और सक्रिय उपचार के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सशक्त और नशामुक्त भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ा सकते हैं।

इस अभियान से यह स्पष्ट होता है कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। केवल नशामुक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा और संवेदनशीलता भी आवश्यक है। यह आंदोलन युवाओं और महिलाओं तक पहुंच बनाने, उन्हें जागरूक करने और समाज को एक मजबूत नैतिक आधार देने की दिशा में निर्णायक साबित हो रहा है।

नशा मुक्त भारत अभियान हमें याद दिलाता है कि जागरूकता, सहभागिता और सामाजिक समर्थन के माध्यम से ही हम नशे के विनाशकारी प्रभाव को रोक सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और जिम्मेदार समाज का निर्माण कर सकते हैं।

कहीं मध्य एशिया की सर्प जाति का सांस्कृतिक विस्तार तो नहीं भारत की नाग सभ्यता

गौतम चौधरी

इतिहास और मिथक के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है, लेकिन इसी धुंधले अवशेषों में सभ्यताओं की आत्मा छिपी रहती है। फ़ारसी महाकाव्य परंपरा की एक महान कृति में हमें ऐसी ही एक व्यापक कथा मिलती है-जहां अत्याचार, प्रतिरोध, प्रेम और वीरता एक साथ आकार लेते हैं। जोहाक से लेकर रुदाबा और फिर रुस्तम तक की यह यात्रा केवल पात्रों की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य की नैतिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास भी है। कुछ जानकारों का मत है, भारत में जो नाग सभ्यता देखने को मिलते हैं उसके बीज फारस के उस लोक कथाओं में ही अवस्थित हैं।

जोहाक इस कथा का वह अंधकारमय प्रारंभ है, जो सत्ता के विकृत रूप का प्रतीक बनकर उभरता है। उसके कंधों से निकलते सर्प केवल एक विचित्र कल्पना नहीं, बल्कि उस हिंसक और अमानवीय प्रवृत्ति का रूपक हैं, जो सत्ता के निरंकुश होने पर जन्म लेती है। जोहाक का शासन यह बताता है कि जब शक्ति नैतिकता से विमुख हो जाती है, तो वह केवल विनाश का साधन बन जाती है। यह किसी एक युग या भूगोल की समस्या नहीं, बल्कि सार्वभौमिक सत्य है।

इसी अंधकार के विरुद्ध खड़ा होता है प्रतिरोध-और यही प्रतिरोध आगे चलकर सभ्यता का आधार बनता है। दरअसल, जोहाक अरब के एक चरवाहे का बेटा था। उसने बचपन में ही अपने अंदर नाग के गुण महसूस किए और सैन्य संगठित कर एक साम्राज्य की नीब रख दी। जोहाक पूरे अरब और मध्य ऐशिया को जीत कर बड़े साम्राज्य की नीब रख दी थी। वह प्रभावशाली और सैन्य संगठन का माहिर था। दस हजार घुड़सवारों की फौज उसकी सुरक्षा करता था लेकिन उसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। जिस प्रकार हमारे देश में भगवान श्रीकृष्ण की कथा में कंस नामक राजा नवजात बच्चों की हत्या करता है उसी प्रकार जोहाक ने भी किया था। उसकी एक अलग मिथकीय कथा है। बाद में फारस का एक योद्धा जोहाक को न केवल युद्ध में परास्त करता है, अपितु उसका वध भी कर देता है।

जोहाक के पतन के साथ ही एक नए युग का द्वार खुलता है, जहां न्याय, संतुलन और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन यह यात्रा सीधी नहीं है इसमें संघर्ष, वंशगत द्वेष और राजनीतिक उलझनें भी हैं।

इसी जटिल पृष्ठभूमि में रुदाबा का चरित्र सामने आता है-एक ऐसा स्त्री पात्र, जो केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस, स्वायत्तता और मानवीय संबंधों की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। रुदाबा की कहानी यह दिखाती है कि प्रेम, सत्ता और वंशगत सीमाओं से परे जाकर भी अपना रास्ता बना सकता है। वह एक ऐसे वंश से आती है, जिसे संदेह और भय की दृष्टि से देखा जाता है, फिर भी वह अपने निर्णयों में दृढ़ रहती है। उसका ज़ाल के साथ संबंध केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं, बल्कि दो विरोधी संसारों के बीच सेतु का कार्य करता है।

रुदाबा का महत्व केवल उसकी अपनी कहानी तक सीमित नहीं रहता वह एक नई पीढ़ी की जननी बनती है। इसी से जन्म होता है रुस्तम का-फ़ारसी परंपरा का सबसे महान योद्धा। रुस्तम उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें शक्ति और नैतिकता का संतुलन है। वह केवल युद्ध कौशल का धनी नहीं, बल्कि एक ऐसा नायक है, जो अपने समय की जटिलताओं से जूझता है।

रुस्तम की उपस्थिति यह संकेत देती है कि सभ्यता केवल अत्याचार के अंत से नहीं बनती, बल्कि उसे लगातार नैतिक संघर्षो और आत्ममंथन के माध्यम से बनाए रखना पड़ता है। उसकी कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि नायक भी त्रुटिहीन नहीं होते वे भी अपने निर्णयों के बोझ से गुजरते हैं।

जोहाक, रुदाबा और रुस्तम-ये तीनों पात्र मिलकर एक व्यापक मानवीय यात्रा का रूपक बनाते हैं। जोहाक उस अंधकार का प्रतिनिधि है, जिससे हर समाज को जूझना पड़ता है रुदाबा उस संवेदनशीलता और साहस का प्रतीक है, जो विभाजनों को पाटती है और रुस्तम उस आदर्श का, जो शक्ति और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है।

आज के समय में, जब सत्ता, पहचान और नैतिकता के प्रश्न फिर से प्रासंगिक हो उठे हैं, यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है-सभ्यता केवल विजय की कहानी नहीं, बल्कि निरंतर संघर्ष, संवाद और संतुलन की प्रक्रिया है और शायद यही कारण है कि ये प्राचीन कथाएं आज भी उतनी ही जीवंत और अर्थपूर्ण लगती हैं।

कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जोहाक के वंशज काबुल में जाकर बस गए थे लेकिन फारसी दबाव के कारण उन्हें काबुल छोड़ना पड़ा। इसके बाद हिन्दूकुश के रास्ते वे भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए। कहा तो यहां तक जाता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना तक्षत नामक नाग ने किया था। वह तक्षक कोई और नहीं जोहाक का वंशज ही था। बाद में नागों के कुछ वंशजों ने पूरे भारत में अपनी सभ्यता विकसित की और जोहाक के वंशज भारतीय संस्कृति में घुलमिल गए।

अत: यह कथा हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है-यह पूछने के लिए कि हम अपने समय के जोहाक, रुदाबा और रुस्तम को कैसे पहचानते हैं और किस पक्ष में खड़े होते हैं। यही नहीं हमें यह भी सोचने के लिए मजबूर करती है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक पक्ष यह भी है कि यह दुनिया की संस्कृति का संरक्षक और संवर्धक रही है। जोहाक के वंसज भारत आए या न आए हों लेकिन मध्य एशिया और अरब में जो एक सर्प वाली सभ्यता विकसित हुई उसके निक्षेप भारत में आज भी देखने को मिलते हैं।

विधायी नेतृत्वः नीति निर्धारण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की परिवर्तनकारी शक्ति

– श्रीमती अन्नपूर्णा देवी –
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

भारत के समक्ष एक असाधारण अवसर है – अपनी विधायिकाओं को नया आकार देने, महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने और एक ऐसे लोकतंत्र की रचना करने का – जो सही मायनों में अपने लोगों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता हो। जब महिलाएं शासन में अपना उचित स्थान ग्रहण करती हैं, तब सभी की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर नीतियां बनती हैं, और राष्ट्र अधिक उद्देश्य और शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। सितंबर 2023 में पारित संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम – नारी शक्ति वंदन अधिनियम – हाल के वर्षो में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधारों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनाया गया यह कानून हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन में निहित यह ऐतिहासिक कानून, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हुए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक साहसिक कदम है। यह मात्र संवैधानिक प्रावधान से कहीं बढ़कर है यह एक परिवर्तनकारी विजन का संस्थागत रूप है, जहां महिलाएं केवल लोकतंत्र में भागीदारी ही नहीं करतीं, बल्कि उसके ताने-बाने को भी आकार देती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास को दिए गए निरंतर समर्थन ने लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों को हकीकत में बदलने की मजबूत प्रेरणा प्रदान की है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को केवल अधिक महिलाओं की ही नहीं, बल्कि ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जिनके पास नीतिगत परिणामों को आकार देने के लिए अधिकार, क्षमता और पर्याप्त अवसर हों। वर्तमान सरकार ने पिछले एक दशक में महिलाओं की सामाजिक – आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिससे इस विधायी परिवर्तन के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। जन धन खाताधारकों में 56% से अधिक महिलाएं हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलता है। मुद्रा योजना के लगभग 67% लाभार्थी महिलाएं हैं, जो उद्यमिता में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 73% से अधिक मकान महिलाओं के नाम पर हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शनों ने घरेलू जीवन स्तर में सुधार किया है। ये सभी कदम एक स्पष्ट नीतिगत दिशा – भागीदारी के जरिए सशक्तिकरण – की ओर इंगित करते हैं हालांकि, अब ध्यान भागीदारी से आगे बढ़कर निर्णय – लेने तक पहुंचने पर केंद्रित है। हमारे देश का अपना अनुभव एक मजबूत मानक प्रस्तुत करता है। स्थानीय स्तर पर, अब पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों में से लगभग 50% महिलाएं हैं, यानी 12 लाख से अधिक नेताओं के रूप में वे स्थानीय शासन को दिशा दे रही हैं। उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महिला – नेतृत्व वाली स्थानीय संस्थाओं ने विकास से जुड़े जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य देखरेख जैसे प्रमुख मुद्दों पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है, जो दर्शाता है कि नेतृत्व में विविधता नीति निर्माण में सकारात्मक बदलाव लाती है। अब यह प्रश्न नहीं रह गया है कि महिलाएं प्रभावी नेतृत्व कर सकती हैं या नहीं इसके प्रमाण पहले से मौजूद हैं। अब समय आ गया है कि भारत की उच्च विधायी संस्थाएं महिलाओं के नेतृत्व को पूर्ण रूप से अपनाएं और उसे बढ़ाएं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने पहले ही आधार तैयार कर दिया है, जो सार्थक प्रतिनिधित्व के लिए एक मजबूत संरचनात्मक नींव प्रदान करता है। राजनीतिक दलों के पास अब इस गति को आगे बढ़ाने – उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित करने, चुनावी अभियान के लिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करने तथा महिला नेताओं के लिए स्पष्ट और सशक्त मार्ग तैयार करने का जबरदस्त अवसर है। उचित सुधारों के साथ, राजनीतिक दल विधायी समावेशन को विजन से जीवंत और जीती – जागती हकीकत में परिवर्तित कर सकते हैं।

सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में संस्थागत तत्परता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बार निर्वाचित होने वाले विधायकों को सशक्त नीतिगत अनुसंधान, समग्र विधायी प्रशिक्षण और मजबूत सहकर्मी नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके, सरकार उन आधारों में निवेश कर रही है जो बढ़ी हुई भागीदारी को अधिक प्रभावी और सटीक निर्णय – लेने में परिवर्तित करते हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास के विजन पर लगातार कार्य करती रही है, और उसने नारी शक्ति को भारत की विकास गाथा के केंद्र में स्थापित किया है। इस अधिनियम का पारित होना विधायी स्तर पर इस विजन को दर्शाता है। यदि इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाया जाए, तो इसकी संभावनाएं असाधारण हैं। वास्तविक प्रभाव के साथ प्रतिनिधित्व असर को कई गुणा बढ़ा देता है। वास्तविक ताकत के साथ उपस्थिति सुधार को तेज करती है।

भारत दोनों को अपनाने के लिए तैयार है – और इससे होने वाले लाभ परिवर्तनकारी होंगे। जैसे – जैसे देश 2047 तक विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, इसकी विधायी संस्थाओं की शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक होगी। महिलाओं के विधायी नेतृत्व को बढ़ाना केवल निष्पक्षता का मामला नहीं है यह स्वयं शासन को सुदृढ़ करने के बारे में है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने वास्तविक संभावनाओं का क्षण उत्पन्न किया है। अब इस क्षण को स्थायी परिवर्तन में बदलने का अवसर और शक्ति दोनों ही राजनीतिक संस्थाओं, दलों और नीति निर्माताओं के पास मौजूद हैं।

प्रगति का असली पैमाना उन महिलाओं में दिखाई देगा, जो केवल सीटों पर बैठतीं ही नहीं, बल्कि उन्हें अधिकारपूर्वक संचालित भी करती हैं – जो साहसिक कानून तैयार करती हैं, परिवर्तनकारी एजेंडे तय करती हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए शासन के स्वरूप को नया आकार देती हैं। इस बिल के लागू होने के साथ, भारत की विधायिकाओं की केवल संरचना ही नहीं बदलेंगी – बल्कि उनके उद्देश्य, शक्ति और वादे भी बदलेंगे।

हिमाचल में आपदा प्रबंधनः नई चुनौतियां और बदलती रणनीति

राजन कुमार शर्मा
(स्वतंत्र लेखक), हमीरपुर

देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जो कभी अपनी शांत वादियों और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता था, आज जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास के दोहरे प्रहार झेल रहा है। वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बादलों का फटना, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ (Flash Floods) अब कोई अपवाद नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या हमारा आपदा प्रबंधन इन उभरती चुनौतियों के लिए तैयार है? बदलते खतरे: मानसून का नया चेहरा: हालिया रिपोर्टो के अनुसार, हिमाचल में वर्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। अब महीने भर की बारिश चंद घंटों में हो रही है, जिससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी के विशेषज्ञों के अनुसार, 'एंटीसिडेंट रेनफॉल' (लगातार होने वाली बारिश) के बजाय अब 'इंटेंस स्पेल' (अत्यधिक तीव्र बारिश) भूस्खलन का मुख्य कारण बन रही है। इसके अतिरिक्त, हिमालयी क्षेत्रों में 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' का खतरा भी गहराया है, क्योंकि सतलुज और चिनाब बेसिन में हिमनद झीलों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। सरकार की नई पहल: तकनीक और सामुदायिक भागीदारी: इन आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश – विकास और आपदा – पुनर्प्राप्ति के लिए सुदृढ़' कारवाई जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं: पंचायतों में आपातकालीन केंद्र : राज्य सरकार अब आपदा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण कर रही है। प्रत्येक पंचायत स्तर पर 'इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर' स्थापित किए जा रहे हैं ताकि आपदा के शुरुआती 'गोल्डन ऑवर' में स्थानीय लोग ही त्वरित राहत पहुंचा सकें। अर्ली वार्निंग सिस्टम: विश्व बैंक की सहायता से राज्य में आधुनिक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं, जो तेईस लाख से अधिक लोगों को समय पर जानकारी देने में सक्षम होंगी। स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग: पुराने और महत्वपूर्ण भवनों, विशेषकर स्कूलों और अस्पतालों को भूकंप व अन्य आपदाओं के प्रति सुरक्षित बनाने के लिए 'रेट्रोफिटिंग' (सुदृढ़ीकरण) का कार्य तेज कर दिया गया है। आपदा बीमा मॉडल: सरकार अब सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के लिए बीमा कवरेज की योजना पर काम कर रही है, ताकि आपदा के बाद होने वाले भारी वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। चुनौतियां अभी भी बरकरार: तकनीकी सुधारों के बावजूद, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण (जैसे फोरलेन और टनल) एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक अध्ययन के बिना पहाड़ों की कटाई और नदियों के किनारे अतिक्रमण आपदाओं को निमंत्रण दे रहा है। इसके अलावा, राज्य को केंद्र से मिलने वाले आपदा राहत पैकेज और विशेष वित्तीय सहायता की भी तत्काल आवश्यकता है ताकि पुनर्वास कार्यो को गति मिल सके। निष्कर्ष: सजगता ही सुरक्षा है, आपदा प्रबंधन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें 'कम्युनिटी रेजिलिएंस' (सामुदायिक लचीलापन) की अहम भूमिका है। हमें पारिस्थितिकी और विकास के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि हम प्रकृति के संकेतों को समझकर अपनी निर्माण शैली और जीवनशैली में बदलाव नहीं करते, तो आने वाले समय में चुनौतियां और भी विकराल हो सकती हैं।'हिमाचल की भौगोलिक स्थिति हमें निरंतर सतर्क रहने की चेतावनी देती है। आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का संगम ही भविष्य की आपदाओं से बचने का एकमात्र मार्ग है।'

'मिशन 32 प्रतिशत' हरित हिमाचल की दिशा में सामूहिक पहल

हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन बदलते पर्यावरणीय हालात और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों ने इस संतुलन को प्रभावित किया है। ऐसे में राज्य सरकार ने 'मिशन 32 प्रतिशत' के माध्यम से एक दूरदर्शी कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन आवरण को 29.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत तक पहुंचाना है। यह पहल केवल आंकड़ों को बढ़ाने का प्रयास नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक व्यापक सोच को

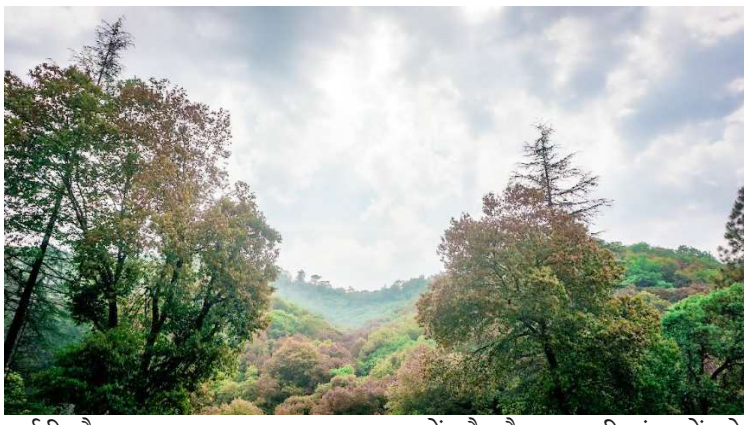

दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के तहत वन विस्तार, संरक्षण और जनभागीदारी को एक साथ जोड़ा गया है। 'मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना' के माध्यम से बंजर और अनुपयोगी भूमि को हरित क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ही चरण में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में फलदार पौधे शामिल हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण लोगों के लिए भविष्य में आय के नए स्रोत भी विकसित हो रहे हैं।

इसी क्रम में 'राजीव गांधी वन संवर्धन योजना' वन क्षेत्रों के पुनर्जीवन का एक मजबूत माध्यम बनकर उभरी है। इस योजना के तहत न केवल पौधरोपण किया जा रहा है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए भी पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और युवाओं की भागीदारी से यह पहल रोजगार सृजन का माध्यम भी बन रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

सरकार ने 'ग्रीन एडॉप्शन योजना' के जरिए निजी क्षेत्र, उद्योग समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा है। इससे पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप मिल रहा है और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो रहा है।

'मिशन 32 प्रतिशत' के तहत किए जा रहे प्रयास न केवल वन क्षेत्र बढ़ाने तक सीमित हैं, बल्कि जैव विविधता संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी सहायक हैं। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर रही है।

असम में भाजपा के इरादे इस बार सफल नहीं होंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार पार्टी अपने इरादों में सफल नहीं होगी। गुवाहाटी स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार के फैसलों को जनहित के खिलाफ बताया।

मुख्यमंत्री ने अडानी पावर के साथ हुए 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा कि 6.30 रुपये प्रति यूनिट की दर पर किया गया यह करार महंगा है, जबकि सौर ऊर्जा 2.50 से 3 रुपये प्रति यूनिट में उपलब्ध है। उन्होंने इस समझौते की निष्पक्ष जांच की मांग की।

उन्होंने राहुल गांधी के ब्यान का हवाला देते हुए कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनने पर ऐसे मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी। सुक्खू ने आरोप लगाया कि दस वर्षों के शासन के बावजूद भाजपा सरकार रोजगार और अर्थव्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं कर पायी है।

हिमाचल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2.83 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना का भी उल्लेख किया।

सुक्खू ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली 8-10 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता बंद होने के बावजूद हिमाचल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों में सुधार के साथ अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' घोषित करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जैसे कदमों का भी उन्होंने जिक्र किया।

कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है और अदरक को पहली बार एमएसपी में शामिल किया गया है। साथ ही, दूध के खरीद मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है।

इस अवसर पर असम कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन यदोव्रत बोरा और प्रवक्ता महिमा सिंह भी मौजूद रहीं।

आईटीबीपी स्थानीय किसानों से खरीदेगी ताज़े उत्पाद

शिमला/शैल। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) हिमाचल प्रदेश में स्थानीय किसानों से ताज़े फल, सब्ज़ियां, दूध, पनीर, मांस और ट्राउट मछली जैसे उत्पाद खरीदेगी। इसके लिए राज्य सरकार के साथ जल्द ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।

इस पहल के तहत आईटीबीपी सीधे किसानों, सहकारी समितियों और स्थानीय उत्पादकों से खरीद करेगी। इससे किसानों को अपने गांव में ही बाजार मिलेगा और उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

इस विषय पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आईटीबीपी के अधिकारियों, जिनमें आईजी मनु महाराज और डीआईजी पवन कुमार नेगी शामिल थे, के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों और बागवानों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर बढ़ाएगी।

उन्होंने बताया कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगा।

आईजी मनु महाराज ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था पहले उत्तराखंड में सफल रही है और हिमाचल में भी इससे सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर आउट पोस्ट के विद्युतीकरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

नवाचार से प्रदेश में रोजगार और उद्यमिता को बल

शिमला/शैल। प्रदेश में उद्योग और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में नवाचार आधारित योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्टार्ट-अप रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है।

राज्य में स्टार्ट-अप ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए नई 'हिम स्टार्ट-अप स्कीम' शुरू की जाएगी, जिसके तहत युवाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएगी। साथ ही 'वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट' कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिसमें हर जिले के तीन खास उत्पादों को पहचान कर उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए 'हिम सिल्क मिशन' शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 10 हजार युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रतिमाह 2 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक मदद होगी।

सरकार हरित उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है और पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है।

हिमाचल दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा

शिमला/शैल। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह समारोह जिला किन्नौर के रिकांग पिओ पुलिस मैदान में आयोजित किया जाएगा।

बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से जुड़े और अपने-अपने क्षेत्रों में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर और बेहतर तरीके से पूरी की जाएं।

उन्होंने बताया कि ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू इस राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया।

उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सुविधाओं की पहले से तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठने की व्यवस्था, मंच प्रबंधन और बिजली की निर्बाध आपूर्ति पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

मुख्य सचिव ने आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी रखें। उन्होंने खराब मौसम जैसी स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में अशोक तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर, कई परियोजनाओं को मंजूरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। निगम के अध्यक्ष आर. एस. बाली ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में बनेर खड्ड के किनारे लगभग 180 करोड़ रुपये की लागत से एक फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में प्रदेश का पहला म्यूजिकल फाउंटेन भी स्थापित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को नया आकर्षण मिलेगा। इसके लिए 6 अप्रैल 2026 को टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पर्यटन को गति देने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर लगभग 2000 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। शिमला स्थित 'हॉलिडे होम' होटल के नवीनीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि मनाली के तीन होटलों के साथ हमीर होटल और ज्वालाजी होटल के उन्नयन कार्य भी प्रगति पर हैं।

पर्यटकों की सुविधा और सेवाओं में सुधार के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, होटलों में पारदर्शिता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया जाएगा, जो समय-समय पर निरीक्षण करेगा।

निगम के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पालमपुर और हमीरपुर में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, नादौन और देहरा में पर्यटन परिसरों के विकास को भी मंजूरी दी गई है।

निगम ने यह भी स्वीकार किया कि होटलों के नवीनीकरण के दौरान आय में अस्थायी कमी आ सकती है। इस स्थिति में कर्मचारियों के वेतन की निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार से सहयोग लिया जाएगा।

इन पहलों को पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, तो इससे हिमाचल प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर सख्ती, दो माह में 2007 निरीक्षण 85 सिलेंडर जब्त

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। निदेशक कुमद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान की गई कारवाई की जानकारी साझा की गई।

बैठक में बताया गया कि इस अवधि में घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 2007 निरीक्षण किए गए, जिनमें 85 सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए 187 निरीक्षण भी किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग तथा ओटीपी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सीमावर्ती जिलों में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कुमद सिंह ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल या डीजल से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1967 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

रोस्टर फेरबदल का अधिकार अधिकारियों को देना गलत: जयराम

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर शक्तियों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए।

मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को 'बिना सोचे-समझे फैसले लेने की आदत' हो गई है, जिसके चलते सरकार को बार-बार अपने निर्णय वापस लेने पड़ते हैं और इससे प्रदेश की छवि प्रभावित हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव रोस्टर में जिलों के उपायुक्तों को पांच प्रतिशत तक बदलाव की दी गई छूट लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। उनके अनुसार, यह निर्णय कांग्रेस के पक्ष में राजनीतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, प्रधानों और पंचायत समिति अध्यक्षों के आरक्षण रोस्टर में फेरबदल का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को देना सत्ता का दुरुपयोग है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाये पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है और इस दौरान उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की भी अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया के आरंभ से ही सरकार बाधाएं उत्पन्न कर रही है और राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने आपदा प्रबंधन कानून के उपयोग और आपदा राहत निधि के खर्च को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

विधानसभा के भीतर भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा द्वारा नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते कुलदीप सिंह पठानिया को सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

बाद में, पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज किए जाने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया और बाहर आकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भौगोलिक विषमताओं के नाम पर डीसी को दी गई शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जो पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता पर सीधा प्रहार है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा इस 'जनविरोधी निर्णय' का पुरजोर विरोध जारी रखेगी और सरकार को ऐसे फैसले तुरंत वापस लेने चाहिए।

गोपाल योजना के तहत 14.68 करोड़ वितरित, बेसहारा गौवंश संरक्षण पर जोर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने और किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए गोपाल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14.68 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इस राशि का उपयोग राज्य में बेसहारा गायों के संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास के लिए किया जा रहा है।

बेसहारा पशुओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को लंबे समय से आर्थिक हानि उठानी पड़ रही थी। कई क्षेत्रों में स्थिति ऐसी बन गई थी कि किसानों को खेती कम करनी पड़ी या पूरी तरह छोड़नी पड़ी। ऐसे में सरकार की यह पहल समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, पंजीकृत गौशालाओं और अभ्यारण्यों को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी की गई है। अब प्रति गाय मासिक अनुदान 700 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दिया गया है, जो 1 अक्तूबर 2025 से लागू है। यह सहायता हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के माध्यम से वितरित की जा रही है, जिससे पशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित हो सके।

सरकार का मानना है कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास से न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें दोबारा खेती की ओर प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके साथ ही सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या घटने से दुर्घटनाओं में कमी आने और सड़क सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है।

बजट 2026-27 में भी इस दिशा में नए प्रावधान किए गए हैं। सरकार गौ अभ्यारण्यों और गौसदनों की स्थापना को बढ़ावा दे रही है तथा स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योग समूहों को इन्हें गोद लेने की अनुमति देने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और किसानों-बागवानों को सहायता देने में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

एंट्री टैक्स मुद्दे पर भाजपा आक्रामक

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और परिवहन क्षेत्र के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है।

महाजन ने दूनि बॉर्डर पर लगे लंबे जाम का हवाला देते हुए कहा कि करीब छह घंटे तक 150 से अधिक ट्रक और सैकड़ों वाहन फंसे रहे, जो इस नीति की जमीनी हकीकत को दर्शाता है। उनके अनुसार, इससे न केवल यातायात बाधित हुआ बल्कि व्यापार और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। ऐसे में एंट्री टैक्स जैसे फैसले पर्यटन उद्योग को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे राज्य की आय पर भी असर पड़ने की आशंका है।

महाजन ने राज्य की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश पर पहले से ही भारी कर्ज है और सरकार अपनी वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए नए कर लगा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पड़ोसी राज्य पंजाब द्वारा जवाबी टैक्स लगाया जाता है, तो इससे व्यापार और परिवहन गतिविधियों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि एंट्री टैक्स से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, जिसका असर आम उपभोक्ताओं पर महंगाई के रूप में दिख सकता है। रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे फल, सब्जी और निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है।

भाजपा नेता ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि टैक्स वापस नहीं लिया गया, तो पार्टी इस मुद्दे पर विरोध तेज करेगी।

मंडी में 6-7 अप्रैल को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ सियासी हमला तेज कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार को 'जनविरोधी' बताते हुए कहा कि अब इसे सत्ता से हटाने का समय आ गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले छह महीनों से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटी है और अब पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है। प्रदेश में 171 मंडलों और करीब 8000 बूथों तक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जा चुका है। इसके साथ ही विभिन्न मोर्चो और प्रकोष्ठों का गठन कर जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत की गई है।

डॉ. बिंदल ने जानकारी दी कि मंडी में 6 और 7 अप्रैल को भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक आयोजित होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में केंद्र सरकार के सहयोग और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के साथ प्रस्ताव भी लाए जाएंगे।

कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने कार्यकाल में जनहित की बजाये विवादित और अव्यवहारिक फैसले लिए हैं। पंचायत चुनावों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में बदलाव जैसे फैसले चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप का संकेत देते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार की कई योजनाओं को राजनीतिक कारणों से बंद कर दिया गया, जिससे आम जनता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी और व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी।

रोपवे किराया बढ़ोतरी के मुद्दे पर भी भाजपा ने चिंता जताई और सरकार से पुनर्विचार की मांग की।

डॉ. बिंदल ने कहा कि भाजपा आगामी चुनावों में मजबूती से उतरेगी और जनता के समर्थन से बेहतर प्रदर्शन करेगी।

कैंसर मरीजों की मदद के लिए सीके मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू

शिमला/शैल। लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित एक सादे समारोह में 'सीके मेमोरियल चौरिटेबल ट्रस्ट' का शुभारंभ किया। यह ट्रस्ट हिमाचली मूल के दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर किशोरी लाल शर्मा द्वारा अपनी दिवंगत पत्नी चंदरकांता शर्मा की स्मृति में स्थापित किया गया है। ट्रस्ट का मुख्यालय मंडी जिले के चैल चौक में होगा, जबकि इसका कार्यक्षेत्र पूरे हिमाचल प्रदेश में रहेगा।

इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने चंदरकांता शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक कार्यो, विशेषकर कोरोना काल में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन और राशन उपलब्ध कराने में निभाई गई भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि पत्नी की स्मृति में ट्रस्ट की स्थापना समर्पण और सेवा का उदाहरण है, जो समाज को सकारात्मक संदेश देता है।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की सहायता करना है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में भी कार्य किए जाएंगे। मरीजों को उपचार संबंधी मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं की जानकारी और औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान की जाएगी।

किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि वे अपनी सेवानिवृत्ति से प्राप्त राशि का बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के संचालन में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और सही उपचार से कैंसर का इलाज संभव है, इसलिए जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है।

गौरतलब है कि शर्मा पहले भी कैंसर जांच और जागरूकता शिविरों का आयोजन कर चुके हैं। इस पहल में चिकित्सा विशेषज्ञों का भी सहयोग रहेगा। ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने चंदरकांता शर्मा के सामाजिक योगदान को याद किया और ट्रस्ट की पहल का स्वागत किया।

सेब बागवानों को गुमराह कर रही कांग्रेस:डॉ.जनक

शिमला/शैल। जनक राज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों को लेकर झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाकर हिमाचल के सेब बागवानों में अनावश्यक भय का माहौल बना रही है। उन्होंने इसे 'डर की राजनीति' करार देते हुए कहा कि कांग्रेस का मकसद किसानों को गुमराह कर राजनीतिक लाभ उठाना है।

डॉ. जनक राज ने कहा कि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत पहले से ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सेब आयातक है और वर्ष 2024-25 में करीब 5.57 लाख मीट्रिक टन सेब आयात हुआ, जो कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 21.9 प्रतिशत है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने ऐसी नीतिगत व्यवस्था की है, जिससे हिमाचल के सेब उत्पादकों के हितों पर कोई आंच न आए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपियन यूनियन के साथ हुए समझौते में सेब आयात के लिए सीमित कोटा तय किया गया है, जो वर्तमान आयात स्तर से भी कम है और इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। साथ ही 80 रूपये प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य निर्धारित किया गया है, जिससे सस्ते विदेशी सेब भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

डॉ. जनक राज ने कहा कि विदेशी सेब की वास्तविक लागत केवल आयात मूल्य तक सीमित नहीं होती। जब इसमें परिवहन, कोल्ड स्टोरेज और अन्य लॉजिस्टिक खर्च जुड़ते हैं, तो यह कीमत 120 से 150 रूपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है। ऐसे में यह साफ है कि विदेशी सेब सस्ते विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि प्रीमियम श्रेणी में ही उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय सेब उत्पादकों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ किए गए प्रावधानों में भी केवल उच्च गुणवत्ता वाले महंगे सेब के आयात की अनुमति है, जो घरेलू बाजार के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होंगे, न कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

बजट,केंद्र-राज्य संबंधों पर जयराम ने उठाये सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र के समापन के साथ ही सियासी आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता में

राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश के बजट, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था और केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रस्तुत बजट न तो दूरदर्शिता दर्शाता है और न ही विकास की स्पष्ट दिशा देता है। उन्होंने दावा किया कि पहली बार राज्य का बजट आकार पिछले वर्ष की तुलना में घटा है, जो आर्थिक प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार अपनी विफलताओं का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता में कमी नहीं आई है। उन्होंने विभिन्न वित्तीय वर्षों के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भी हिमाचल को पर्याप्त केंद्रीय सहायता मिल रही है।

प्रशासनिक मोर्चे पर नेता प्रतिपक्ष ने स्थिति को 'चिंताजनक' बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की नौकरशाही में टकराव की स्थिति बनी हुई है। उनके अनुसार, अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कारवाई करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संदिग्ध छवि वाले अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है, जिससे व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। हालांकि, इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा। उन्होंने नशे, अवैध खनन और अन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी का आरोप लगाया और कहा कि इन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हालिया घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया अपेक्षित स्तर की नहीं रही है।

सहारा पेंशन योजना को लेकर भी उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और एक मामले में कथित रूप से जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर पेंशन रोक दी गई। उन्होंने इसे प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण बताया। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि या सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है।

केंद्र-राज्य संबंधों के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि विभिन्न मदों-जैसे केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, अनुदान और योजनाओं के तहत सहायता-में वृद्धि हुई है। उनके अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य को पूर्व भाजपा सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में अधिक राशि प्राप्त हो रही है।

इन बयानों के साथ ही प्रदेश की राजनीति में बहस तेज हो गई है। एक ओर विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार से इन आरोपों पर विस्तृत जवाब की अपेक्षा की जा रही है। आने वाले समय में सरकार की प्रतिक्रिया और जमीनी स्थिति ही इन दावों की वास्तविकता को स्पष्ट करेगी।

रोबोटिक सर्जरी में पारदर्शिता पर उठे सवाल

शिमला/शैल। विपिन सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश में

रोबोटिक सर्जरी मशीनों की खरीद को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाई-टेक स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा।

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परमार ने कहा कि टांडा और चमियाना मेडिकल कॉलेजों में करीब 28 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित रोबोटिक सर्जरी मशीनों की खरीद प्रक्रिया संदिग्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि ई-टेंडरिंग के जरिए एक विदेशी कंपनी को ठेका दिया गया, लेकिन टेंडर की शर्तों, भाग लेने वाली कंपनियों और चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

उन्होंने कहा कि जहां सामान्य लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 20 से 25 हजार रुपये में हो जाती है, वहीं रोबोटिक सर्जरी का खर्च डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच रहा है। ऐसे में यह सुविधा आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है और केवल सीमित वर्ग तक ही सिमट कर रह गई है।

परमार ने सवाल उठाया कि क्या आयुष्मान भारत और हिमकेयर जैसी योजनाओं के तहत इन महंगी सर्जरी का लाभ दिया जा रहा है। यदि नहीं, तो गरीब और बीपीएल वर्ग के मरीजों के लिए इस तकनीक का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कई अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और तकनीकी स्टाफ की भारी कमी है। ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी और लैब सेवाओं में भी कमी के कारण मरीजों को बुनियादी इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है।

परमार ने आरोप लगाया कि सरकार बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के बजाये महंगी और दिखावटी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि प्रदेश में गैर-संचारी रोग जैसे डायबिटीज, कैंसर और ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ रहे हैं।

दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में कई दवा सैंपल फेल पाये गये हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को उजागर करते हैं।

उन्होंने मांग की कि रोबोटिक सर्जरी मशीनों की खरीद, लागत, टेंडर प्रक्रिया और उपयोग से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक की जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द जवाब नहीं दिया, तो भाजपा इस मुद्दे को प्रदेशभर में उठाएगी।

हिमाचल में नशे खिलाॅफ सख्त कानून की मांग

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नशाखोरी का संकट लगातार गहराता जा रहा है और अब यह सामाजिक चिंता से बढ़कर गंभीर आपात स्थिति का रूप लेता दिख रहा है। ज्वालामुखी विकास सभा (पंजीकृत) ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर कड़े और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

सभा के अध्यक्ष अमर चंद कमल ने चेतावनी दी है कि नशे का फैलता जाल प्रदेश की युवा पीढ़ी को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 10 करोड़ लोग नशे की चपेट में हैं, जबकि हिमाचल में लगभग 12,000 लोग सीधे तौर पर इस समस्या से प्रभावित बताए जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें अधिकांश युवा शामिल हैं।

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 5.31 लाख लोग शराब, 1.88 लाख कैनबिस और 3.04 लाख लोग ओपियोइड का सेवन कर रहे हैं। नशे का अवैध कारोबार भी लगभग एक लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच चुका है, जो इसके संगठित और खतरनाक स्वरूप को उजागर करता है।

पत्र में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2023 से 2026 के बीच नशे की ओवरडोज के चलते 66 युवाओं की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भयावह हो सकती है।

सभा ने नशे के साथ-साथ ऑनलाइन अश्लील सामग्री की आसान उपलब्धता को भी युवाओं के मानसिक और सामाजिक पतन का एक बड़ा कारण बताया है। उनका कहना है कि वर्तमान कानून और उनका क्रियान्वयन इस बढ़ते खतरे को रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं।

पत्र में सिंगापुर जैसे देशों का हवाला देते हुए भारत में भी सख्त नशा-विरोधी कानून लागू करने की मांग की गई है। सभा ने सरकार से नशा तस्करों के लिए कठोरतम सजा, ड्रग नेटवर्क पर कड़ी निगरानी, फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना, सीमाओं पर सख्ती, शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति केंद्रों के विस्तार जैसे ठोस कदम उठाने की अपील की है।

सभा ने स्पष्ट किया कि यदि इस समस्या पर समय रहते निर्णायक कारवाई नहीं हुई, तो इसके दूरगामी परिणाम प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं।